सं. जे-11015/1/2011-एनएसएपी
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषयः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए पात्रता मानदंड में परिवर्तन।

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 24 सितम्बर, 2007 के का.ज्ञा. सं. जे-11013/1/2007-एनएसएपी के माध्यम से जारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने का निदेश हुआ है। केन्द्रीय सहायता का दावा करने के प्रयोजनार्थ दिशा-निर्देशों में उल्लिखित पात्रता मानदंड यह था कि आवेदक (पुरुष अथवा स्त्री) की उम्र 65 वर्ष अथवा इससे अधिक हो और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित हो।

2. भारत सरकार ने मौजूदा आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत उम्र सीमा को 65 वर्ष से कम कर 60 वर्ष और 80 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए सहायता को 200 रु. से बढ़ाकर 500 रु. करने का निर्णय लिया है। संशोधित मानक दिनांक 01.04.2011 से लागू होंगे। तदनुसार, आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत पेंशन की मंजूरी के लिए संशोधित मानदंड नीचे दिए अनुसार होंगेः

I. पात्रता मानदंड

केन्द्रीय सहायता का दावा करने के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगेः

(i) आवेदक (पुरुष अथवा स्त्री) की उम्र 60 वर्ष अथवा इससे अधिक होगी।

(ii) आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

II. पेंशन की राशि

(i) 60-79 वर्ष आयु वर्ग में लाभार्थियों के लिए आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रति लाभार्थी प्रति माह 200 रु. की दर से दी जाएगी।

(ii) 80 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रति लाभार्थी प्रति माह 500 रु. की दर से दी जाएगी।

3. 'भुगतान की रीति', 'कवरेज प्रमाण-पत्र', और 'निधियों का आवंटन', आदि के संबंध में अन्य प्रावधान वहीं रहेंगे जैसा कि दिनांक 24 सितम्बर 2007 के का.ज्ञा. में उल्लिखित हैं।

सं. कु. राकेश
30.06.11

(संजय कुमार राकेश)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सचिव
एनएसएपी प्रभारी
सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र